भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 201*

(सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

अनुसंधान और नवाचार के लिए सीएसआर संसाधन

***201. श्री वी. वैथिलिंगमः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में व्यापक सामाजिक प्रभाव सृजित करने में सक्षम नवाचारों, सामाजिक उद्यमों और विशेष मिशन वाले संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संसाधनों की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और सामाजिक उद्यमिता पहलों के लिए सीएसआर संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ढांचा विकसित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने, रोजगार सृजित करने और सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने के लिए सीएसआर समर्थित नवाचार और सामाजिक उद्यमों का योगदान कितना रहा है;

(घ) नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट निकायों, अनुसंधान संस्थानों, इन्क्यूबेटरों और सामाजिक उद्यमों के बीच भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा नवाचार के वित्तपोषण में सीएसआर की भूमिका का विस्तार करने, सामाजिक उद्यमिता को सुदृढ़ करने और सतत और बड़े पैमाने पर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम उच्च प्रभाव वाले संगठनों के विकास में सहायता करने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्तीय और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अनुसंधान और नवाचार के लिए सीएसआर संसाधन के संबंध में माननीय सांसद श्री वी. वैथिलिंगमः द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2026 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 201 (प्रथम स्थान) के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII में उन पात्र कार्यकलापों की सूची दी गई है जिन्हें सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा की जा सकती हैं। ये कार्यकलाप व्यापक आधार वाली हैं और इनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है ताकि उनमें उल्लिखित विषयों के सार को समझा जा सके।

अनुसूची VII के तहत उल्लिखित कार्यकलाप व्यापक रूप से समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और इनमें शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका संवर्धन परियोजनाएं, कौशल विकास, भूखमरी उन्मूलन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्लम क्षेत्र विकास सहित सामाजिक-आर्थिक समानता, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों आदि द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए कई सामाजिक क्षेत्रों का समर्थन देने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, अनुसूची VII के तहत, कंपनियां स्वच्छ गंगा कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ), प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स) और स्वच्छ भारत कोष चार निधियों नामक में योगदान करके सीएसआर कार्यकलापों को शुरू कर सकती हैं, जिससे देश भर में व्यापक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। अनुसूची VII में इस प्रकार उल्लिखित कार्यकलाप हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुसूची VII की मद (ix) में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान का भी प्रावधान है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर कार्यकलापों को या तो स्वयं या निम्नलिखित के माध्यम से करने का अधिकार है-

i. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (vi‌क) के तहत छूट दी गई हो या धारा 12क के तहत पंजीकृत हो और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के 80छ के तहत अनुमोदित हो, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया हो; या

जारी...2/-

ii. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी या कोई पंजीकृत ट्रस्ट या कोई पंजीकृत सोसायटी, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है; या

iii. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी संस्था; या

iv. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कोई कंपनी, या कोई पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या कोई पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई हो या धारा 12क के तहत पंजीकृत और आयकर अधिनियम, 1961 के 80छ के तहत अनुमोदित हो और इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन वर्ष का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।

उपरोक्त कानूनी ढांचा कंपनियों और उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है।

(ङ): मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 27.05.2026 की अधिसूचना के माध्यम से नई मद संख्या (xiii) अर्थात् "सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखतों का अभिदान" की शुरुआत करके अनुसूची VII के दायरे का विस्तार किया है। यह संशोधन गैर-लाभकारी संगठनों को पारदर्शी और विनियमित तरीके से लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करेगा।

अनुलग्नक

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) से (ग) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	कृषि वानिकी	67.28	75.18	87.59
2.	पशु कल्याण	326.40	548.60	560.78
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	63.63	70.96	72.40
4.	कला और संस्कृति	451.34	712.58	692.22
5.	स्वच्छ गंगा कोष	46.28	66.89	19.35
6.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	584.65	438.65	426.28
7.	शिक्षा	10,520.18	12,508.19	13,877.34
8.	पर्यावरणीय स्थिरता	2,027.10	2,483.27	3,396.75
9.	लैंगिक समानता	121.17	217.85	223.98
10.	स्वास्थ्य देखभाल	7,122.71	7,344.74	8,530.60
11.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	1,710.13	2,408.67	2,547.71
12.	केंद्र सरकार के अन्य निधि	187.79	216.44	262.66
13.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	1,285.67	1,273.87	1,647.24
14.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	857.06	644.10	468.50
15.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2,060.71	2,458.57	2,476.96
16.	सुरक्षित पेयजल	253.05	342.51	341.85
17.	स्वच्छता	438.95	379.16	439.32
18.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	154.53	164.95	205.40
19.	महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास स्थापित करना	49.84	43.56	50.23
20.	अनाथालय की स्थापना	45.52	34.09	55.03
21.	स्लम क्षेत्र विकास	94.22	39.52	38.42
22.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	159.54	205.65	160.43
23.	विशेष शिक्षा	325.77	412.36	423.38
24.	स्वच्छ भारत कोश	56.87	143.95	192.97
25.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	1.48	1.91	-
26.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	542.69	718.82	1,130.02
27.	व्यावसायिक कौशल	1,209.62	1,429.73	1,945.22
28.	महिला सशक्तिकरण	417.45	464.89	521.38
29.	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	1.65	68.32	-
	कुल	**31,183.28**	**35,917.98**	**40,794.00**

(31.03.2026 तक अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं, का संकेत दिया।
